

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 23/2012

RCMS Case No. 2012/00148

प्रार्थी :-
सरकार जरिये तहसीलदार
मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थी:-

1. उमाराम पुत्र खीवाराम
2. रामाराम गोद पुत्र भगाराम
3. नरसींगराम पुत्र मेघाराम जातिगण सिरवी निवासीगण चौकडिया

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

--: आदेश :-

दिनांक 28/8/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई तथा प्रकरण गुणावगुण के आधार निर्णित किया जाता है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चौकडिया के गत खसरा नम्बर 296, 297, 298, 299, 300 व 301 की भूमि मुस्तरका धुम्बीदारान 1/2, डोली बनाम आईमाता जी वाके बिलाडा की खुदकाशत दर्ज थी। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 634, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 643 व 644 बने हैं। उक्त भूमि का पुजारीयों द्वारा अपने निजी स्वार्थवश हस्तान्तरण किया गया है, जो हस्तान्तरण राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 46(1) एवं राजस्थान पीपुल्स ट्रस्ट एक्ट 1952 की धारा 31 के विपरित है। यह हस्तान्तरण नामान्तरकरण संख्या 576 व 594 के द्वारा किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से ग्राम चौकडिया के नामान्तरकरण संख्या 576 व 594 को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष रेफरेन्स प्रेषित करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम चौकडिया की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019 के खाता संख्या 137/1 के तहत अन्य खसरा नम्बरान् के साथ खसरा नम्बर 296, 297, 298, 299, 300 व 301 की भूमि मुस्तरका धुम्बीदारान 1/2, डोली बनाम आईमाता जी वाके बिलाडा की खुदकाशत दर्ज थी। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 9 की टिप्पणी के अनुसार किसी देव मूर्ति का मैनेजर उसका नौकर होता है। अतः एक देव मूर्ति को खुदकाशत के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर0आर0डी0 1994 रामप्रताप बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में यह प्रतिपादित किया कि देवमूर्ति शाश्वत अवयस्क होने से उसके नाम कृषि भूमि उसकी व्यक्तिगत कृषि भूमि मानी जावेगी। ऐसा ही आर0आर0डी0 1996 पेज 181 राज्य बनाम मुकनाराम में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अवैध रूप से खातेदार दर्ज व्यक्ति देव मूर्ति की भूमि का खातेदार नहीं हो जाता है। आर0आर0डी0 1979 पेज 7 माधो बनाम नन्दलाल में प्रतिपादित किया कि किसी देवमूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते,

बति. बिष्णु कलेक्टर, पाली



चाहे काश्तकार का कब्जा बन्दोबस्त के समय पर रहा हो। चूंकि देवमूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है तथा हस्तगत प्रकरण में भूमि मन्दिर की खुदकास्त दर्ज है, जिसका किसी भी रूप में हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मन्दिर की भूमि का अनाधिकृत रूप से हस्तान्तरण किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि मौजा चौकडिया तहसील मारवाड जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 576 व 594 को निरस्त करावे तथा भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।



(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली